



झारखण्ड राज्य के कोशागारों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2018–19



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची

विशय सूची

क्रमांक	विशय	पृष्ठ संख्या
I	प्राक्कथन	02
II	मुख्य अंग	03
III	भाग 1 : प्रस्तावना	04
IV	भाग 2 : लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां/विसंगतियां	05-08
V	भाग 3 : कोशागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य अनियमिततायें	09-14
VI	भाग 4 : सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी विवरण	15
VII	परिशिष्ट	16-49

प्राक्कथन

कोशागार राज्य सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ भासकीय लेखा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशागार, निकासी एवं संवितरण अधिकारी एवं वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोशागार मासिक लेखों की तैयारी एवं भुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं साथ ही साथ लेखा एवं लेन-देन से संबंधित मानकों, नियमों और नियमन के अनुसार वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करते हैं। कोशागारों/उप कोशागारों के सुचारु रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कोशागारों/उप-कोशागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन प्रतिकूल वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इस पर मेरे कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के इस वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में झारखण्ड में कार्यरत कोशागारों/उप कोशागारों की उन महत्वपूर्ण कमियों का सारांश गीकरण किया गया है जो अनियमितताएँ इस कार्यालय में लेखों के संकलन के दौरान व स्थानीय निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आयी थी। कोशागारों के निरीक्षण के दौरान जो कमियाँ परिलक्षित हुई थी, उन्हें संबंधित आयुक्त, जिला उपयुक्त, कोशागार पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि यह समीक्षा प्रतिवेदन कोशागारों एवं उप-कोशागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं नियमानुकूल वित्तीय प्रशासन को स्वस्थ इकाइयों के रूप में खुद को स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा।

(चन्द्र मौली सिंह)

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०)
झारखण्ड, राँची

मुख्य अंश

1. राज्य गठन से वर्ष 2018-19 तक ₹5,479 करोड़ के कुल 18,287 विस्तृत आकस्मिक विपत्र, महालेखाकार कार्यालय में अप्राप्त रहे ।

[कंडिका 2.1.1]

2. विभिन्न कोशागारों/उप-कोशागारों से कुल ₹22,43,634/- के उपादान की राशि का समायोजन नहीं किया गया ।

[कंडिका 3.3.3]

3. विभिन्न कोशागारों/उप-कोशागारों से कुल ₹30,60,384/- की पेंशन/परिवारिक पेंशन का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान किया गया ।

[कंडिका 3.3.4]

4. कोशागारों/उप-कोशागारों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पालन नहीं किया जाना ।

[कंडिका 3.4]

5. उच्चतर अधिकारियों द्वारा कोशागारों/उप-कोशागारों का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना ।

[कंडिका 3.5]

Hkkx&1

izLrkouk

1-1 ifjp;%& कोशागार किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है तथा वे राज्य सरकार के राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशागार वह माध्यम है जो राज्य के विभिन्न संसाधनों का समावेश, आहरण एवं लेखा रखता है। प्रत्येक कोशागार एवं उप कोशागार क्रमशः कोशागार पदाधिकारी एवं उप कोशागार पदाधिकारी के प्रभार में रहते हैं।

वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोशागार एवं उप-कोशागार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। वित्त विभाग के सचिव, राज्य के कोशागारों के विभागाध्यक्ष होते हैं एवं पूर्ण कार्यप्रणाली इनके अधीन कार्य करती है।

1-2 lajpuk@laxBu

झारखण्ड राज्य में 26 कोशागार, 6 उप कोशागार कार्यालय एवं 1 साइबर कोशागार कार्यरत हैं (ifjff'k"V la[;k&1)। सभी कोशागार बैंकिंग है। वर्ष 2018-19 में सभी 26 जिला कोशागारों, 6 उप कोशागारों, 1 साइबर कोशागार एवं झारखण्ड भवन, नई दिल्ली का महालेखाकार कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया (ifjff'k"V la[;k&2)।

1.3 कोशागारों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

कोशागारों/उप कोशागारों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति को (ifjff'k"V la[;k&3) में दर्शाया गया है।

vuq'kalk %& dks"kkxkj ,oa mi dks"kkxkj dk;kZy;ksa es
Lohd`r dk;Z cy ls dkQh de la[;k esa deZpkjh dk;Zjr
gSa] ftlesa lq/kkj dh vko';drk gS A

1.4 कम्प्यूटरीकरण

झारखण्ड राज्य में 26 कोशागार, 6 उप कोशागार कार्यालय एवं 1 साइबर कोशागार कार्यरत है सभी कोशागार बैंकिंग है एवं कम्प्यूराइज्ड है ।

Hkkx&2

2.1 लेखों के संकलन और सत्यापन के दौरान पाई गई त्रुटियाँ एवं अन्य कमियाँ

2.1.1 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र का अस्तित्व

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 187 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र के माध्यम से अदृ" य व्यय हेतु सेवा भीर्श से रा" 1 की निकासी के लिए प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक0) कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । अभी तक वर्ष 2000-01 से 2018-19 तक ₹ 5,479 करोड़ के कुल 18,287 विस्तृत आकस्मिक विपत्र लम्बित है। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विलम्ब से प्रेशण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अनियमित बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए है :-

1. संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए0सी0) की सारणी

वर्ष	लम्बित संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्रों की संख्या	रा" (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	17,789	4,395
2017-18	276	441
2018-19	222	643
योग	18,287	5,479

प्रमुख त्रुटिकर्ता विभाग जिन्होंने डी0 सी0 विपत्रों को प्रेशित नहीं किया है, विस्तृत विवरण नीचे दिए गए है :-

त्रुटिकर्ता विभाग	संक्षिप्त आकस्मिक (AC) विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
ग्रामीण विकास विभाग-ग्रामीण विकास प्रमंडल	2,942	1,368.60	24.98
स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,771	554.69	10.12
महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग	3,063	534.21	9.75
कल्याण विभाग- कल्याण प्रमंडल	1,821	446.17	8.14
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग-गृह विभाग	1,353	383.14	6.99
कृषि, पशु पालन एवं सहकारिता विभाग- कृषि विभाग	561	178.25	3.25
पथ निर्माण विभाग	34	161.53	2.95
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग-माध्यमिक शिक्षा विभाग	202	157.74	2.88
पर्यटन, कला संस्कृति खेल-कुद एवं युवा कार्य विभाग	445	153.41	2.80
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वजनिक वितरण विभाग	485	144.74	2.64

वर्ष 2018-19 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई राशि ₹1,061 करोड़ में से केवल मार्च 2018 में ₹62 करोड़ (5.84%) की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹2.00 करोड़ (0.19%) की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध किये गये महत्वपूर्ण व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को व्यय करने के लिए ही की गई तथा यह बजट पर नियंत्रण की न्यूनता को भी उद्भेदित करता है। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, तथापि स्थिति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

2.2 आरबीडी विवरण एवं बीडीएमएस में भिन्नताएँ

रिजर्व बैंक के पास जमा के संबंध में लेखों में परिलक्षित ऑकड़े (₹1,71,80.59 लाख नामे) और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए ऑकड़े (₹1,88,30.03 लाख जमा) के बीच (₹16,49.43 लाख जमा) का अंतर था जो रोकड़ भोश में सम्मिलित है। वर्ष 2018-19 के लिए ₹1,70,19.52 लाख के विसंगति विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को मिलान करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक जमा भोश में आव" यक सुधार करने हेतु भेज दिया गया है तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व अवधि के लिए भोश ₹1,61.07 लाख का अन्तर समाधान के अधिन है।

2.3 स्थानीय निधि खातों के अन्तर्गामी का मिलान न किया जाना

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 343(a) एवं (b) के अनुसार गत वर्ष के लिए कोशों में जमा भोशों का सत्यापन कोशागार पदाधिकारी एवं स्थानीय निधि के प्र" ासक द्वारा किया जाना चाहिये तथा सत्यापन के बाद उन्हें महालेखाकार को यथा" ण भेजने के लिए, सभी स्थानीय निधियों के प्र" ासक प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कोशागार पदाधिकारी को उनकी स्वीकृति का प्रमाणपत्र भेजेंगे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 32 कोशागारों में कुल 189 स्थानीय निधि से संबंधित खातों का संधारण किया जा रहा है परन्तु उपरोक्त वर्णित नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विस्तृत विवरण in the Annexure 5 में दर्शाया गया है।

2.4 कोशागारों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब

राज्य सरकार के लेखे, जिन्हें प्रधान महालेखाकार कार्यालय में संकलन किया जाता है एवं जिसके लिए सभी कोशागार एवं उप- कोशागार अधिकारी निर्धारित समयावधि में प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक) झारखण्ड को उनके कोशागार के मासिक लेखा के माध्यम से प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं।

मासिक लेखा में संबंधित माह के एक तारीख से अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, जिसे अगले माह की पांच तारीख तक प्रधान महालेखाकार कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये एवं मार्च माह के लेखे को निश्चित रूप से अप्रैल माह की 12 तारीख तक पहुंच जाना चाहिये। मासिक लेखा ससमय महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त नहीं होने के निम्न परिणाम होते हैं :-

1. लेखों के संकलन में विलंब ;

2. मासिक लोक खातों से लेखों का अपवर्जन ;
3. संकलित लेखों की अधूरी जानकारी ;
4. राज्य सरकार के दावों को प्राथमिकता देने में विलम्ब ;
5. प्रारंभिक तिथि में मौद्रिक निपटान पर असर ;
6. योजनागत व्यय के प्रमाणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव और ; एवं
7. आर0बी0आई0 के किताबों/बहियों में दिखाये गये रोकड़ भोश का समाधान ।

समीक्षा में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त कुल 396 मासिक लेखों में से 331 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये जो कुल लेखों का लगभग 83.58% प्रति" त है एवं कोशागारों द्वारा मासिक लेखा प्रेशन में औसतन 3.80 दिनों का विलम्ब पाया गया है। विस्तृत विवरण i f j f' k"V la [; k&4 में द" र्गया गया है ।

2.5 प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा का कोशागारों में लेखा का संकलन एवं महालेखाकार को लेखा भेजने संबंधी टिप्पणियाँ

झारखण्ड राज्य के समस्त कोशागारों एवं उप कोशागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

2.6 रिजर्व बैंक जमा पंजी

झारखण्ड राज्य में समस्त कोशागारों एवं उप कोशागारों के कम्प्यूटरीकरण के प" चात् पंजियों का अनुरक्षण/रख-रखाव इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है ।

भाग – 3

वर्ष 2018-19 में कोशागारों एवं उप कोशागारों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां एवं अन्य अनियमिततायें

3.1 वर्ष 2018-19 के दौरान निरीक्षण किये गये कोशागारों एवं उप-कोशागारों का विवरण

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 32 के तहत महालेखाकार द्वारा कोशागारों/उप-कोशागारों का निरीक्षण लेखा परीक्षा नियमावली के अनुसार किया जाता है। समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान किये गये कोशागारों/उप कोशागारों के निरीक्षण का विवरण निम्न प्रकार है।

3.2 वर्ष 2018-19 में विलोपित एवं लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति

समीक्षा वर्ष 2018-19 के दौरान कोशागार से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की समीक्षा के उपरान्त प्रतिवेदनों की 454 कंडिका एवं 426 उप-कंडिका को विलोपित किया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। कोशागार/उप-कोशागार कार्यालयों द्वारा प्राप्त अपूर्ण अथवा उठायी गयी आपत्तियों पर यथोचित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों की कुल 718 कंडिका एवं 675 उप-कंडिका लंबित/यथावत बने हुए हैं जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। साथ ही वर्ष 2018-19 के दौरान निरीक्षण किये गये 32 कोशागारों/उप-कोशागारों एवं झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के निरीक्षण प्रतिवेदनों में 408 कंडिका

एवं 416 उप-कंडिकाओं को निर्गत किया जा चुका है जिसका विस्तृत विवरण 1a [; k&6 में द" र्गिया गया है ।

अनु"सा: निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के संदर्भ में कोशागार पदाधिकारियों द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण यथाभीघ्न करके महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिये। इसके लिए कोशागारों में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठायी गयी आपत्तियों के ससमय निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली विकसित की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके। झारखण्ड सरकार द्वारा एक कोशागार निदेशालय के गठन पर भी विचार करना चाहिए जो उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण के परिणाम की निगरानी एक नोडल एजेंसी की तरह करे। कोशागार निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का [निराकरण/निपटारा](#) कोशागारों में कार्य प्रणाली का उन्नयन सुनिश्चित करता है।

3.3 पें"ान भुगतान से संबंधित प्रकरण

3.3.1 पें"ान संबंधित अभिलेख

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 192 से 236 में कोशागार अधिकारियों को पें"ान भुगतान एवं उनके अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में पर्याप्त दि"ानिर्देश" दिये गये हैं । कुछ कोशागारों द्वारा वैसे पें"ानीभोगी, जिनके पें"ान की निकासी कोशागार से होती है, के मामले में जीवन प्रमाण पत्र, गैर रोजगार प्रमाण पत्र एवं महिला पें"ानधारकों का जिनका पें"ान विवाह या पुर्न विवाह के कारण समाप्त किया जाता है, के द्वारा इस आ"ाय का वार्षिक/अर्ध वार्षिक घोशणा पत्र, संबंधित अभिलेख का रखरखाव एवं संधारण नहीं किया जा रहा है जिसका विस्तृत विवरण 1a [; k&9 में द" र्गिया गया है ।

3.3.2 छ: माह से पें"ान आहरण नहीं करने वाले पें"ानधारियों की सूची न भेजा जाना :

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 236(a) के अनुसार प्रत्येक कोशागार पदाधिकारी हर छः माह पर महालेखाकार कार्यालय को पें” इन निकासी न करने के मामलों में एक विवरण प्रस्तुत करेंगे । विवरण दो भागों में तैयार किया जाएगा : पहले भाग में सेवा पें” इन के लिए तीन वर्ष एवं राजनीतिक पें” इन के लिए छः वर्ष से पें” इन निकासी न करने वाले सभी पें” इन-भोगियों का पें” इन के वर्ग का उल्लेख करते हुए नाम होगा, दूसरे भाग में पहले भाग में उल्लिखित पें” इन-भोगियों से भिन्न उन पें” इन-भोगियों का नाम होगा जिन्होंने एक वर्ष से पें” इन की निकासी नहीं की है । यदि ज्ञात हो तो निकासी न करने के कारणों का उल्लेख प्रत्येक नाम के सामने किया जाएगा ।

जिन पें” इन-भोगियों के नाम उपर्युक्त विवरण के पहले भाग में शामिल हो, उन सभी के तथा जिन मृत पें” इन-भोगियों के बकाया पें” इन का दावा उनकी मृत्यु के एक वर्ष के अंदर नहीं किया गया हो, उनके भी पें” इन भुगतान आदे” । के व्ययनकर्ता वाले हिस्से विवरण के साथ महालेखाकार कार्यालय को वापस भेज दिए जाएंगे । कोशागार पदाधिकारियों/बैंक प्रबंधन हर महीने पें” इन भुगतान आदे” । की फाइल जांच करके ऐसे मामलों को खोज निकालेगा ।

समीक्षा वर्ष 2018-19 के कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कुछ कोशागारों/उप-कोशागारों द्वारा उक्त दि” 11 निर्दे” 11 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसका विस्तृत विवरण in the following table is given : में दे” र्गया गया है ।

3.3.3 कुल ₹22,43,631=00 (बाईस लाख तैतालिस हजार छः सौ इकतिस मात्र) अधिक उपादान की राशि के समायोजन :

महालेखाकार कार्यालय द्वारा अर्धवार्षिक पत्र संख्या पेंमान-ई0डी0पी0/2015-16/08 दिनांक 16.09.2015 द्वारा प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को अधिक उपादान की राशि के समायोजन से संबंधित सूची उपलब्ध करायी गयी थी जिसके आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने पत्रांक 207 दिनांक 20.11.2015 द्वारा संबंधित कोशागारों को अधिक उपादान की राशि का समायोजन करने का निर्देश दिया था ।

समीक्षा वर्ष 2018-19 के कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि संबंधित कोशागारों/उप-कोशागारों द्वारा उक्त दि" 11 निर्दे" 10 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है। विस्तृत विवरण 11 में द" र्णिया गया है ।

अनु"सा: निरीक्षण प्रतिवेदन में पे"न संबंधित उल्लेखित कमियों/विसंगतियों के संदर्भ में कोशागार पदाधिकारी द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये एवं नियमानुसार सुधारात्मक कदम उठाते हुए इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दिया जाना चाहिए।

3.3.4 कुल ₹34,60,384=00 (रुपये चौतिस लाख साठ हजार तीन सौ चौरासी) मात्र का अधिक पे"न का भुगतान

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 192 से 236 के अनुसार कोशागार पदाधिकारियों को पे"न भुगतान एवं उनके अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में पर्याप्त दि" 11 निर्दे" 11 दिये गये हैं । इन दि" 11-निर्दे" 10 का सही अनुपालन नहीं करने के कारण वर्ष 2018-19 के कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न कोशागारों/उप-कोशागारों से कुल ₹34,60,384=00 रुपये की पे"न/परिवारिक पे"न का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया है जिसका विस्तृत विवरण (परिशिष्ट संख्या-11) में द" र्णिया गया है ।

अनु"सा: निरीक्षण प्रतिवेदन में पे"न संबंधित उल्लेखित कमियों/विसंगतियों पर कोशागार पदाधिकारी द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये एवं नियमानुसार सुधारात्मक कदम उठाते हुए इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को दिया जाना चाहिए।

3.4 कोशागार में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन नहीं किया जाना

कोशागार कार्यालय द्वारा प्रतिपादित लेखा जिसके आधार पर वित्तीय लेखा तैयार किये जाते हैं, जो प्राथमिक रूप से प्रारंभिक तथा सहायक लेखों की तैयारी एवं इसकी भुद्धता के साथ साथ ऐसे लेखों और लेन-देन से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार वित्तीय लेन-देन की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार होते हैं ।

यह वि" शेष रूप से आव" यक है कि कोशागार का प्रबंधन एवं कार्यकलाप को सही ढंग से अपनाई जाय ताकि लेखों की सुरक्षा एवं गलत विवरणी पर उचित नियंत्रण रखा जा सके तथा आव" यक वित्तीय अनु" ासन का पालन हो सके ।

झारखण्ड राज्य के 26 कोशागार, 6 उप कोशागार कार्यालय एवं 1 साइबर कोशागार द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेशित किया जाता है । कोशागार निरीक्षण के क्रम में कई कमियां/विसंगतियां पाई गई ।

कुछ कोशागारों में जमा एवं नगद का समय-समय पर जांच, महालेखाकार को व्ययगत जमा की सूची भेजने से संबंधित त्रुटियां पाई गई हैं जिसका कोशागारवार विवरण ifj f' k"V la [; k&13 में द" ाया गया है ।

3.5 उच्चतर अधिकारी द्वारा कोशागार का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना

झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 31 के अनुसार सभी समाहर्ता को अपने कोशागार का छः माह में कम से कम एक बार एवं उप-कोशागार के मामले में वर्ष में एक बार व्यवस्थित निरीक्षण करना चाहिये ।

कोशागार के काम-काज, सामान्य प्र" ासन एवं उचित नियंत्रण के लिए आयुक्त, सरकार के प्रति तुरंत जिम्मेदार हैं । उन्हें कम से कम हर तिमाही में कोशागार में जमा राशि के संबंध में निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेना चाहिये । इसी प्रकार मुद्रांक, प्रतिभूतियां, डाफ्ट एवं चेक प्रपत्र के लिए वार्षिक निरीक्षण किया जाना चाहिये । उपायुक्त को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार निरीक्षण करना चाहिये कि जमा पंजी में सभी आव" यक प्रविष्टियां निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है और प्रत्येक लेन-देन के ससमय हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं । साथ ही उनकी जिम्मेदारी है कि महालेखाकार को भेजा जाने वाला लेखा सही और निर्धारित अवधि के अन्दर प्रेशित किया जाये ।

कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कई कोशागारों/उप-कोशागारों का निरीक्षण उच्चतर अधिकारी द्वारा काफी लम्बे समय से नहीं किया गया है । विस्तृत विवरण (ifj f' k"V la [; k&14) में द" ाया गया है ।

अनु" ासा: उच्चतर अधिकारी द्वारा झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 31 को सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

3.6 कोशागारों की सुरक्षा

1. झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 36(a) के अनुसार कोशागार पदाधिकारी को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लोक निर्माण विभाग से प्रत्येक वर्ष बज्र गृह से संबंधित सुदृढ़ता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोशागारों द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जिसकी सूची ifjf'k''V la[;k&15 में दर्जा किया गया है।

2. झारखण्ड कोशागार संहिता 2016 के नियम 36(b) के अनुसार कोशागार के बज्र गृह में पदस्थापित पुलिस बल की तैनाती के संबंध में एक आदेश बज्र गृह के बाहर एक निर्दिष्ट स्थान में सूचित की जानी चाहिये । कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोशागारों में पुलिस बल की तैनाती से संबंधित आदेश उपलब्ध नहीं था । जिसकी सूची ifjf'k''V la[;k&15 में दर्जा किया गया है ।

3. कोशागार के बज्र गृह के अग्नि से सुरक्षा हेतु लगाये गये अग्नि"ामन यंत्र को यथा स्थान पर स्थापित एवं कार्यशील स्थिति में होना चाहिये ।

परन्तु वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोशागार के बज्र गृह के उपयोग हेतु लगाये गये अग्नि"ामन यंत्र कार्यशील स्थिति में नहीं थे । जिसकी सूची ifjf'k''V la[;k&15 में दर्जा किया गया है ।

3.7 मुद्रांक लेखों का संभारण

3.7.1 न्यायिक/गैर-न्यायिक मुद्रांको का आवधिकता से अधिक भंडारण किया जाना

कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई कोशागारों द्वारा उपयोग से अधिक मुद्रांकों का भंडारण किया गया है जिसका विवरण ifjf'k''V la[;k&16 में दर्जा किया गया है ।

3.7.2 अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्रांकों का बज्र गृह में अनावधिक भंडारण किया जाना

बिहार स्टाम्प मेनुअल के नियम 38 के अनुसार सचिव, राजस्व परिषद को अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्राओं के निस्तारण हेतु अनुरोध किया जाना चाहिये ।

कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कुछ कोशागारों द्वारा अनाव" यक रूप से अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्राओं का बज्र गृह में भण्डारण कर रखा गया है एवं इसके निस्तारण के संबंध में कोशागार पदाधिकारी द्वारा आव" यक कार्रवाई नहीं की गई है । जिसका विवरण ifj f' k"V la[; k&17 में द" र्णिया गया है ।

3.7.3 जमींदारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निस्तारण नहीं किया जाना

बिहार स्टाम्प मेनुअल के नियम 38 के अनुसार सचिव, राजस्व परिषद को अप्रचलित/क्षतिग्रस्त मुद्राओं के निस्तारण हेतु अनुरोध किया जाना चाहिये ।

कोशागार निरीक्षण के दौरान पाया गया है कुछ कोशागारों द्वारा अनाव" यक रूप से जमीन्दारी क्षतिपूर्ति बंधपत्र को बज्र गृह में भण्डारण कर रखा गया है जो उपयोग में नहीं है, इसके निस्तारण के संबंध में भी कोशागार पदाधिकारी द्वारा आव" यक कार्रवाई नहीं की गयी है जिसका विवरण ifj f' k"V la[; k&18में द" र्णिया गया है ।

भाग — 4

सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा संबंधी विवरण

4.1 झारखण्ड राज्य में 26 कोशागार, 6 उप कोशागार कार्यालय एवं 1 साइबर कोशागार है एवं सभी कोशागार/उप-कोशागार एन0आई0सी0 के तकनीकी नियंत्रण, रॉची के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची में स्थित वेब आधारित केन्द्रीय सर्वर से

जुड़े हैं। सभी कोशागारों एवं उप-कोशागारों के लिए कुबेर के नाम से एक यूनिकार्ड पैकेज प्रयोग में लाया गया है।

4.2 डाटाबेस में सभी सुधार सुनिश्चित करने हेतु कोशागार एप्लीकेटिव सॉफ्टवेयर में कोई मानक तंत्र विकसित नहीं किया गया है। यद्यपि डाटाबेस में सभी सुधार डिजाइन द्वारा सम्मिलित किया गया है, जैसे केन्द्रीय डाटाबेस सर्वर एवं क्लाईन्ट टेक्नोलॉजी संचालित होता है।

4.3 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड को अद्यतन नहीं किया जाना : कोशागार निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि डाटा बेस में नये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का कोड आवंटित करने की व्यवस्था है परन्तु वैसे अधिकारियों का कोड जो उस कोशागार में अपेक्षित नहीं है, को अद्यतन करने की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण अनावश्यक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कोड उक्त डाटाबेस में प्रदर्शित होते रहते हैं।

4.4 कुछ कोशागारों में प्रोद्योगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है अथवा स्टॉक रजिस्टर में कम्प्यूटर से संबंधित अन्य चीजों का जैसे सर्वर, प्रिंटर का पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिसका विवरण if j f' k"V la[; k&19 में दर्ज किया गया है।

परिभाषा – 1

(कंडिका 1.1)

झारखण्ड राज्य स्थित कोशागारों/उप-कोशागारों की सूची

क्रम	कोशागार/उप कोशागार का	जिला	ग्राम/डल का नाम	क्रम	कोशागार के अन्तर्गत
------	--------------------------	------	-----------------	------	---------------------

संख्या	नाम	मुख्यालय		संख्या	कार्यरत उप-कोषागार
1	दुमका	दुमका	संथालपरगना प्रमंडल, दुमका		
2	देवघर	देवघर	—वही—	1	मधुपुर
3	साहेबगंज	साहेबगंज	—वही—	2	राजमहल
4	गोड्डा	गोड्डा	—वही—		
5	पाकुड़	पाकुड़	—वही—	3	महेभापुर
6	जामताड़ा	जामताड़ा	—वही—		
7	हजारीबाग	हजारीबाग	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग		
8	चतरा	चतरा	—वही—		
9	गिरिडिह	गिरिडिह	—वही—		
10	धनबाद	धनबाद	—वही—		
11	बोकारो	बोकारो	—वही—	4	तेनुघाट
12	कोडरमा	कोडरमा	—वही—		
13	रामगढ़	रामगढ़	—वही—		
14	राँची	राँची	दक्षिणी छोटानागपुर, प्रमंडल, राँची		
15	प्रोजेक्ट भवन	राँची	—वही—		
16	साइबर कोषागार	राँची	—वही—		
17	लोहरदगा	लोहरदगा	—वही—		
18	गुमला	गुमला	—वही—		
19	डोरन्डा	राँची	—वही—		
20	सिमडेगा	सिमडेगा	—वही—		
21	पश्चिम सिंहभुम	चाईबासा	कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा	5	चक्रधरपुर
22	पूर्वी सिंहभुम	जमभोदपुर	—वही—	6	घाटभिला
23	सरायकेला	सरायकेला	—वही—		
24	खूंटी	खूंटी	—वही—		
25	पलामू	डाल्टेनगंज	पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर		
26	गढ़वा	गढ़वा	—वही—		
27	लातेहार	लातेहार	—वही—		

परिभाषित — 2

(कंडिका 1.1 एवं 3.1)

निरीक्षण किये गये कोषागारों एवं उप कोषागारों का विवरण

क्रम संख्या	कोषागार/उप-कोषागार का नाम	निरीक्षण की तिथि	
		कब से	कब तक

1	चक्रधरपुर	10.05.2018	12.05.2018
2	चाईबासा	14.05.2018	21.05.2018
3	सरायकेला	22.05.2018	29.05.2018
4	जमभोदपुर	06.07.2018	13.07.2018
5	घाटभिला	03.07.2018	05.07.2018
6	डोरन्डा	24.09.2018	29.09.2018
7	खुँटी	02.05.2018	09.05.2018
8	राँची	31.05.2018	07.06.2018
9	गुमला	15.06.2018	22.06.2018
10	सिमडेगा	08.06.2018	14.06.2018
11	तेनुघाट	29.10.2018	31.10.2018
12	लातेहार	23.08.2018	30.08.2018
13	पलामू	13.08.2018	21.08.2018
14	गढ़वा	06.08.2018	11.08.2018
15	लोहरदगा	23.06.2018	29.06.2018
16	चतरा	31.08.2018	08.09.2018
17	प्रोजेक्ट भवन	01.10.2018	09.10.2018
18	रामगढ़	16.07.2018	21.07.2018
19	धनबाद	26.11.2018	01.12.2018
20	झारखण्ड भवन	24.12.2018	01.01.2019
21	कोडरमा	10.12.2018	15.12.2018
22	गिरिडीह	03.12.2018	08.12.2019
23	साहेबगंज	21.01.2019	29.01.2019
24	राजमहल	30.01.2019	01.02.2019
25	पाकुड़	04.02.2019	11.02.2019
26	महेभापुर	12.02.2019	14.02.2019
27	हजारीबाग	23.07.2018	28.07.2018
28	बोकारो	22.10.2018	27.10.2018
29	जामताड़ा	20.02.2019	27.02.2019
30	मधुपुर	17.01.2019	19.01.2019
31	देवघर	07.01.2019	16.01.2019
32	गोडडा	01.03.2019	09.03.2019
33	दुमका	11.03.2019	18.03.2019
34	साइबर	15.01.2019	23.01.2019

परिशिष्ट – 3

(कंडिका 1.1)

कोषागारों/उप-कोषागारों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

क्रम संख्या	कोषागार/उप कोषागार का नाम	कर्मचारी की स्थिति	
		स्वीकृत बल	कार्यरत बल

1	बोकारो	14	09*
2	चाईबासा	35	13*
3	चक्रधरपुर	04	07*
4	चतरा	10	07*
5	देवघर	15	07
6	धनबाद	32	06
7	डोरन्डा	23	09
8	दुमका	34	11
9	गढ़वा	15	10*
10	घाटी ताला	02	04*
11	गिरिडीह	18	09
12	गोड्डा	17	10*
13	गुमला	25	09*
14	हजारीबाग	35	12
15	जमशेदपुर	31	08*
16	जामताड़ा	12	05*
17	खुर्ती	07	04*
18	कोडरमा	12	04
19	लातेहार	08	03
20	लोहरदगा	12	05*
21	मधुपुर	03	03*
22	महेसापुर	05	03*
23	पाकुड़	12	07
24	पलामू	23	10
25	प्रोजेक्ट भवन	19	10*
26	राजमहल	06	05*
27	रामगढ़	05	04*
28	रौंछी	62	05
29	साहेबगंज	11	05
30	सरायकेला	12	07
31	सिमडेगा	12	07
32	तेनुघाट	08	05*

* वर्ष 2017-18 के समीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित

परिष्ठाष्ट - 4

(कंडिका 2.2)

कोषागारों/उप-कोषागारों से विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखा विवरण

क्रम संख्या	कोषागार /उप	4/ 18	5/ 18	6/ 18	7/ 18	8/ 18	9/ 18	10/ 18	11/ 18	12/ 18	1/ 19	2/ 19	3/ 19	औसत
----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----

	कोशागार													
1	बोकारो	1	6	5	2	7	1	5	2	3	1	1	2	3.00
2	चक्रधरपुर	1	3	7	3	2	1	1	6	3	0	1	2	2.50
3	चतरा	1	8	6	2	2	1	1	13	0	0	1	2	3.08
4	साइबर	6	3	18	12	7	8	15	22	19	7	0	5	10.17
5	देवघर	1	3	4	4	7	6	2	2	4	4	5	3	3.75
6	धनबाद	3	3	5	2	3	1	1	2	0	1	1	2	2.00
7	दुमका	1	0	4	2	3	4	1	0	-1	4	1	-1	1.50
8	डोरन्डा	6	6	11	3	2	4	11	9	7	7	6	10	6.83
9	गोड्डा	2	7	7	3	3	4	8	7	3	11	2	6	5.25
10	घाटी लाल	6	6	10	2	3	6	3	5	7	1	2	2	4.42
11	गुमला	0	0	5	-1	0	-1	-2	0	0	0	0	-1	0.00
12	गिरिडीह	7	3	13	4	2	4	3	6	0	1	5	2	4.17
13	गढ़वा	3	9	13	6	7	11	11	7	7	1	2	10	7.25
14	हजारीबाग	0	3	7	9	13	18	2	2	19	1	1	-1	6.17
15	जामताड़ा	6	6	7	2	2	4	3	5	0	1	2	4	3.50
16	जमशेदपुर	6	6	11	3	3	4	1	2	4	1	2	2	3.75
17	कोडरमा	6	1	7	2	1	1	3	2	0	7	1	3	2.83
18	खुर्ती	3	8	11	13	3	14	4	7	-1	3	2	3	5.83
19	लोहरदगा	3	6	10	2	3	5	5	5	4	15	1	4	5.25
20	लातेहार	0	0	6	2	1	0	1	0	0	0	0	2	1.00
21	मधुपुर	2	3	10	3	3	4	1	2	3	0	1	3	2.92
22	महेन्द्रगढ़	2	6	7	3	6	4	1	2	-2	0	6	9	3.67
23	प्रोजेक्ट भवन	6	3	7	5	7	1	15	6	7	7	5	5	6.17
24	पाकुड़	2	6	7	3	6	4	1	2	-2	0	6	5	3.33
25	पलामू	6	2	7	5	6	1	1	2	7	1	5	11	4.50
26	राजमहल	1	7	4	2	3	4	2	5	0	0	12	2	3.50
27	रामगढ़	1	2	13	10	7	5	4	6	5	4	5	3	5.42
28	रौंछी	0	0	10	2	9	11	1	5	0	4	0	5	3.92
29	साहेबगंज	1	3	7	6	6	4	2	2	4	14	-1	5	4.42
30	सिमडेगा	0	1	10	2	1	6	1	0	-1	0	1	2	1.92
31	चाईबासा	0	2	11	2	3	1	1	0	3	0	1	2	2.17
32	सरायकेला	-1	0	7	-1	1	-2	-2	-1	-2	-3	-1	2	-0.25
33	तेनुघाट	-1	1	6	3	3	4	2	2	0	0	-2	-1	1.42
औसत		2.45	3.73	8.27	3.70	4.09	4.33	3.30	4.15	3.03	2.82	2.24	3.45	3.80

परिशिष्ट - 5

कड़िका 2.3 स्थानीय निधि खाता

झारखण्ड राज्य स्थित स्थानीय निधि खातों की कोशागारवार सूची

क्रमांक	कोशागार/उप कोशागार का नाम	स्थानीय निधि खातों का नाम	भोश राशि
1.	राँची	1. आर0आ0डी0ए0 राँची 2. नगर निगम, राँची 3. जिला परिशद, राँची 4. नगर परिशद, बुण्डु, राँची 5. रिम्स, राँची 6. पॉल्टी फार्म, होटवार, राँची 7. ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण, राँची 8. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरे" न, राँची 9. झारखण्ड एरिया लिफ्ट एरिगे" न कारपोरे" न, राँची 10. आई0टी0डी0ए0 राँची 11. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण कारपोरेभान लि0 12. झारखण्ड रक्षा भाक्ति वि" वविधालय, राँची 13. राँची वि" वविधालय, राँची 14. राश्टीय बागवानी मि" न, राँची 15. झारखण्ड राज्य बीज प्रमाणन, राँची 16. झारखण्ड कृशि म" पीनरी टेस्टिंग एण्ड ट्रेनिंग 17. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम, राँची 18. ऑरगेनिक फारमिंग ऑथोरिटी, झारखण्ड 19. निदे" ाक समिति, झारखण्ड, राँची 20. झारखण्ड संवेद बोर्ड सूचना और जनसंपर्क 21. झारखण्ड राज्य कृशि विपणन पर्शद, राँची 22. झारखण्ड कृशि एवं सोयल मैनेजमेंट संस्थान, राँची 23. तांत्रिक मानवविज्ञान चिकित्सा रिनपास कांके 24. डा0 भयामा प्रसाद मुखर्जी वि" वविधालय, राँची	195454758.25 6893102884.38 800680358.59 128236390.00 1222972905.00 9492199.78 640074901.00 904019392.43 213394743.00 498699598.00 2649075199.00 34472038.50 274897209.00 537973694.00 — 47457545 10243898170.00 2437937.00 1993248768.00 — — 549187110.00 104739828.00 — —
2.	कोडरमा	1. नगर परिशद, कोडरमा 2. जिला परिशद, कोडरमा 3. नगर पंचायत, कोडरमा 4. डोमचाच नगर पंचायत	150146886.00 53518866.41 83341999.00 —

3.	चतरा	1. नगर निगम, चतरा 2. जिला परिशद, चतरा 3. बचरा नगर पंचायत	164853656.83 267314774.00 —
4.	देवघर	1. जिला परिशद, देवघर 2. नगर निगम, देवघर	213019652.33 314462188.12
5.	खूँटी	1. जिला परिशद, खूँटी 2. नगर पंचायत, खूँटी 3. आई0टी0डी0ए0, खूँटी	197415075.00 187877799.00 177172052.00
6.	पाकुड़	1. नगर निगम, पाकुड़ 2. जिला परिशद, पाकुड़ 3. एकीकृत आदिवासी विकास, एजेन्सी	221310265.85 111982201.00 336686803.00
7.	लातेहार	1. जिला परिशद, लातेहार 2. नगर पंचायत, लातेहार 3. मेसो एरिया, लातेहार	142426495.00 332909634.00 51121701.00
8.	सरायकेला	1. जिला परिशद, सरायकेला 2. नगर निगम, सरायकेला 3. एन0ए0सी0, आदित्यपुर 4. एन0ए0सी0, खरसांवा 5. आई0टी0डी0ए0, खरसांवा 6. कपिल नगर परिशद, सरायकेला	147602325.00 44525331.00 278237319.00 11571427.00 77183438.00 210481.00
9.	सिमडेगा	1. जिला परिशद, सिमडेगा 2. एन0ए0सी0, सिमडेगा 3. आई0टी0डी0ए0, सिमडेगा	32517190.00 148425315.76 67937590.00
10.	चाईबासा	1. जिला परिशद, चाईबासा 2. नगर निगम, चाईबासा 3. आई0टी0डी0ए0, चाईबासा 4. कोल्हान वि” वविधालय, चाईबासा	498402589.00 368292795.45 168403432.00 —
11.	पलामू	1. जिला परिशद, पलामू 2. नगर निगम, मेदनीनगर 3. एन0ए0सी0, हुसैनाबाद 4. नगर पंचायत, विश्रामपुर 5. नीलाम्बर पिताम्बर वि” वविधालय, पलामू 6. छतरपुर नगर पंचायत, पलामू 7. हरिहरगंज नगर पंचायत, पलामू	289273847.50 259244344.19 75546253.00 285766103.00 432959177.00 14510703.00 —
12.	दुमका	1. वासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका 2. नगर पंचायत, दुमका 3. जिला परिशद, दुमका 4. आई0टी0डी0ए0, दुमका 5. सिद्धू कान्हु मुर्मू वि” वविधालय, दुमका 6. बाबा बैधनाथ पर्यटन विकास प्रधिकार, दुमका	274290875.50 133136518.67 332179830.17 345566571.00 659292878.00 —
13.	घाटी ^म ाला	1. नगर पंचायत, घाटी ^म ाला	108584313.00

14.	साहेबगंज	1. जिला परिशद, साहेबगंज 2. नगर पंचायत, साहेबगंज 3. डी0डी0सी सह मुख्य कार्यकारी कार्यालय, आई0टी0डी0ए0, साहेबगंज 4. बडहरवा नगर पंचायत, साहेबगंज	24785026.86 407005038.30 415949914.00 ---
15.	धनबाद	1. नगर निगम, धनबाद 2. नगर पंचायत, चिरकुन्डा 3. जिला परिशद, धनबाद 4. एम0ए0डी0ए0, धनबाद 5. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल वि" वविधालय	4348142018.20 154032341.00 242814437.54 1945013677.63 77479881.00
16.	जम" ंदपुर	1. जिला परिशद, जम" ंदपुर 2. नगर निगम, जुगसलाई 3. एन0ए0सी0, जम" ंदपुर 4. एन0ए0सी0, मानगो 5. आई0टी0डी0ए0, जम" ंदपुर	181851783.16 2848162.07 645843715.00 394575433.00 218318492.00
17.	गढ़वा	1. जिला परिशद, गढ़वा 2. नगर निगम, गढ़वा 3. नगर निगम, मझिऑव 4. आई0टी0डी0ए0, गढ़वा 5. नगर उंटारी नगर पंचायत, गढ़वा	268082808.00 183452609.00 207058979.00 31402239.00 51716049.00
18.	राजमहल	1. नगर पंचायत, राजमहल	58756261.00
19.	मधुपुर	1. नगर निगम, मधुपुर	177733636.00
20.	चक्रधरपुर	1. नगर निगम, चक्रधरपुर	295486524.79
21.	जामताड़ा	1. जिला बोर्ड, जामताड़ा 2. नगर पंचायत, जामताड़ा 3. नगर पंचायत, मिहिजाम 4. आई0टी0डी0ए0, जामताड़ा	36808277.78 83600868.33 115088739.05 71688794.00
22.	गुमला	1. जिला परिशद, गुमला 2. नगर पंचायत, गुमला 3. आई0टी0डी0ए0, गुमला	178372978.00 140330506.75 207873398.00
23.	गिरिडीह	1. नगर निगम, गिरिडीह 2. जिला परिशद, गिरिडीह 3. परिवहन निगम, गिरिडीह 4. बड़कीसरैया नगर पंचायत, गिरिडीह 5. धनवार नगर पंचायत, गिरिडीह 6. पारसनाथ पर्यटन विकास प्रधिकार,	278803139.00 312328749.00 15480.00 --- --- ---
24.	लोहरदगा	1. जिला परिशद, लोहरदगा 2. नगर पंचायत, लोहरदगा 3. आई0टी0डी0ए0 लोहरदगा	104317624.70 194260210.00 184230852.00

		4. प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विधालय	134172430.00
25.	हजारीबाग	1. जिला परिशद, हजारीबाग 2. नगरपालिका कोश, हजारीबाग 3. माईनिंग बोर्ड, हजारीबाग 4. विनोवा भावे वि" वविधालय, हजारीबाग	310910069.00 522535687.08 1296294.00 884918519.00
26.	बोकारो	1. जिला परिशद, बोकारो 2. नगर निगम, बोकारो	78856758.00 217357457.00
27.	गोड्डा	1. जिला परिशद, गोड्डा 2. नगर निगम, गोड्डा 3. आईटीडीसी, गोड्डा 4. महगामा नगर पंचायत, गोड्डा	177236028.00 121285797.33 152790682.00 —
28.	तेनुघाट	1. एन०ए०सी० फुसरो, तेनुघाट 2. गोमिया नगर पंचायत, तेनुघाट	425984839.67 —
29.	डोरन्डा	1. शिक्षा परिशद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राँची 2. आयडा, आदित्यपुर 3. वियाडा, बोकारो 4. पर्यटन, डोरन्डा 5. जे०एस०ई०बी०, डोरन्डा 6. जिडको, राँची 7. झारकाफ्ट, राँची 8. जेरेडा, राँची 9. जे०आर० खादी बोर्ड, राँची 10. रियाडा, राँची 11. एसपियाडा, राँची 12. जे०एस०बी० एस० एन० पी० एस० राँची 13. एम०डी०झारखण्ड उर्जा विकास निगम, लिमिटेड 14. एम०डी०झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम,, राँची लिमिटेड 15. एम०डी०झारखण्ड उर्जा वितरण निगम, राँची लिमिटेड 16. एम०डी०झारखण्ड संचारण निगम, राँची लिमिटेड 17. नियंत्रक बिरसा कृषि विश्वविधालय, काँके राँची 18. प्रबंध निदेभाक, डी.जे.एम.एच.आई.डी.पी. सी.एल. नामकुम, राँची 19. ने" नल हेल्थ मि" न 20. प्रबंध निदेभाक, झारकोफिस, राँची 21. झारखण्ड झारमार्ट राँची 22. झारखण्ड बायोडायभरसीटी बोर्ड राँची 23. झारखण्ड विकास परिषद 24. झारखण्ड स्टेट एग्री डेभलोपमेंट	654294890.00 92349629.00 81055913.00 612637624.00 — 229003896.00 581113488.00 3655100421.00 171844661.00 164940439.00 44191905.00 179728442.00 10991.00 520254435.00 30869999454.00 18072654221.00 1702734575.00 3986618292.00 2838649763.00 100717139.00 138037559.00 20713227.00 1142423637.00 467690603.00

		कारपोरेभान लि० राँची	
		25. भेजफेड झारखण्ड, राँची	2371489.00
		26. झामकोफेड झारखण्ड, राँची	42155823.00
		27. झामकोलैम्प झारखण्ड राँची	2525656.00
		28. झारखण्ड गौ सेवा आयोग, राँची	1042262883.00
		29. झारखण्ड राज्य जीव जन्तु आयोग, राँची	10000000.00
		30. झारखण्ड कोपरेटिव मिल्क फेडरे" न राँची	33323525.00
			1814599931.00
		31. झारखण्ड कौ" नल विकास मि" न सोसायटी	---
		32. झारखण्ड अरबन टान्सपोर्ट कारपोरे" न	292446180.00
		33. झारखण्ड प" गुचिकित्सक परिशद डीपीडी	---
		34. झारखण्ड राज्य इमप्लिमेंटिंग एजेन्सी फौर कैटल एण्ड बफैलो लि०	190291686.00
		35. झारखण्ड टेक्नोलोजी युनिवर्सिटी, राँची	---
		36. मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड	41484134.00
			1041962656.00
		37. झारखण्ड माटीकला बोर्ड, राँची	---
		38. आई०टी०डी०पी० कोशांग राँची	---
		39. झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास, डोरन्डा	---
		40. राजकोशीय अध्यन संस्थान, डोरन्डा	---
		41. इंस्टीटयुट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी सोसाइटी	---
30.	प्रोजेक्ट भवन, राँची	1. झारखण्ड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, राँची	298729311.00
		2. उच्च शिक्षा, राँची	---
		3. जैप आई०टी०, राँची	2068652276.00
		4. झारखण्ड स्पेस एपलिके" न सेंटर	26463215.00
		5. झारखण्ड स्टेट एस०टी० कोपरेटिव, डेवलपमेंट, राँची	4360837585.00
		6. पर्यटन कला मंदिर, होटवार, राँची	100000000.00
		7. पर्यटन कला संस्कृति स्पोर्ट्स एवं युवाकार्य विभाग	---
		8. झारखण्ड स्टेट स्पोर्ट्स प्रोमो" न सोसाइटी, राँची	---
		9. राज्य महिला आयोग, झारखण्ड, राँची	16900372.00
		10. झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राँची	4254483.00
		11. झारखण्ड महिला विकास समिति राँची	53874641.00
		12. झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था राँची	1054157.00
		13. झारखण्ड राज्य पो" न मि" न, राँची	92318470.00
		14. झारखण्ड राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग	---
		15. झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट	7787350027.00

		कम्पनी लि०	
		16. झारखण्ड भाहरी योजना एवं प्रबंधन संस्था	---
		17. राज्य भाहरी विकास अभिकरण (सुधा)	91274095.00
		18. झारखण्ड स्टेट लाइब्रेलिटुड प्रमो" इन सोसाइटी रॉची	487851047.00
		19. झारखण्ड स्पोर्ट्स प्राधिकरण होटवार रॉची	214627898.00
		20. झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना काउन्सिल	3072688292.00
		21. झारखण्ड कम्युनिके" इन नेटवर्क लि०	
		22. निदे" एक झारखण्ड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण रॉची	---
		23. पिछड़ा वर्ग	---
		24. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम	---
		25. अटल बिहारी वाजपेयी इलोवे" इन लैब	---
		26. झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण रॉची	---
31.	रामगढ़	1. जिला परिशद, रामगढ़	220694311.00
		2. रामगढ़ नगर पंचायत	182675953.00
		3. रजरप्पा पर्यटन विकास प्राधिकार रामगढ़	---

परिभाषित – 6**(कंडिका 3.2)**

वर्ष 2018-19 में कोशागारों एवं उप कोशागारों के निरीक्षण के दौरान निर्गत किये गये कंडिकाओं एवं उप-कंडिकाओं का विवरण

क्रमांक	कोशागार/उप-कोशागार का नाम	निर्गत तिथि	कंडिका संख्या	उप-कंडिका संख्या
1	बोकारो	19.12.2018	08	12
2	चाईबासा	06.07.2018	16	19
3	चक्रधरपुर	06.07.2018	09	13
4	चतरा	29.10.2018	10	05
5	देवघर	08.02.2019	14	16
6	धनबाद	28.01.2019	10	13
7	डोरन्डा	03.01.2019	09	06
8	दुमका	10.04.2019	13	24
9	गढ़वा	29.10.2018	10	05
10	घाटी आला	26.11.2018	09	02
11	गिरिडीह	28.01.2019	12	08
12	गोड्डा	11.04.2019	12	14
13	गुमला	25.09.2018	15	18
14	हजारीबाग	11.02.2019	13	07
15	जमशेदपुर	11.02.2019	13	09
16	जामताड़ा	10.04.2019	17	21
17	खुर्दी	11.07.2018	15	21
18	कोडरमा	28.01.2019	12	11
19	लातेहार	29.10.2018	10	04
20	लोहरदगा	25.09.2018	16	22
21	मधुपुर	08.02.2019	10	14
22	महेन्द्रगढ़	08.03.2019	06	03
23	पाकुड़	11.02.2019	16	13
24	पलामू	29.10.2018	11	09
25	प्रोजेक्ट भवन	03.01.2019	09	05
26	राजमहल	08.03.2019	09	01
27	रामगढ़	05.12.2018	10	02
28	रौंछी	05.09.2018	18	37
29	साहेबगंज	08.03.2019	12	14
30	सरायकेला	13.07.2018	16	18
31	सिमडेगा	13.09.2018	14	23
32	साईबर		09	02
33	तेनुघाट	28.01.2019	10	12
34	झारखण्ड भवन	01.02.2019	15	13

कुल	408	416
-----	-----	-----

परिभाषित -7

(कंडिका 3.2 विलोपित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका)
वर्ष 2018-19 में विलोपित की गई कंडिकाओं/उप कंडिकाओं की सूची

क्रमांक	कोशागार/उप-कोशागार का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लंबित कंडिका	लंबित उप-कंडिका
1	बोकारो	2010-11	01	00
		2017-18	12	09
2	चाईबासा	2015-16	02	02
		2016-17	07	08
		2017-18	11	06
3	चक्रधरपुर	2012-13	00	02
		2014-15	00	01
		2015-16	01	02
		2016-17	02	01
		2017-18	03	02
4	चतरा	2014-15	02	00
		2015-16	01	00
		2016-17	02	00
		2017-18	09	03
5	देवघर	2016-17	02	01
		2017-18	13	21
6	धनबाद	2014-15	03	02
		2015-16	02	02
		2016-17	01	00
		2017-18	11	13
7	डोरन्डा	2015-16	13	12
		2017-18	10	05
8	दुमका	2016-17	05	06
		2017-18	13	20
9	गढ़वा	2012-13	00	01
		2013-14	01	00
		2014-15	01	01
		2015-16	02	01
		2017-18	09	08
10	घाटी आला	2011-12	01	00
11	गिरिडीह	2008-09	01	00
		2013-14	01	02

		2014-15	01	03
		2015-16	04	00
		2016-17	01	00
		2017-18	08	02
12	गोड्डा	2016-17	05	02
		2017-18	12	16
13	गुमला	2005-06	01	00
		2007-08	01	00
		2011-12	01	00
		2016-17	06	07
14	हजारीबाग	2004-05	01	00
		2016-17	02	00
		2017-18	11	08
15	जमशेदपुर	2016-17	03	00
		2017-18	13	10
16	जामताड़ा	2016-17	07	03
		2017-18	14	17
17	खुँटी	2015-16	03	01
		2016-17	07	14
		2017-18	08	06
18	कोडरमा	2000-01	01	00
		2002-03	01	01
		2008-09	01	00
		2015-16	01	00
		2016-17	01	00
		2017-18	10	01
19	लातेहार	2015-16	02	01
		2016-17	03	03
		2017-18	08	07
20	लोहरदगा	2002-03	01	00
		2004-05	01	00
		2006-07	00	01
		2013-14	06	09
		2014-15	02	06
		2015-16	06	03
		2016-17	03	00
21	मधुपुर	2015-16	01	00
		2016-17	02	02
		2017-18	08	11
22	महेन्द्रगढ़	2016-17	02	01
		2017-18	05	07
23	पाकुड़	2016-17	02	01

		2017—18	15	16
24	पलामू	2012—13	01	01
		2013—14	01	00
		2014—15	01	01
		2015—16	03	02
		2016—17	06	06
		2017—18	07	07
		25	प्रोजेक्ट भवन	2013—14
2014—15	03			06
2015—16	07			09
2016—17	04			08
2017—18	06			05
26	राजमहल	2016—17	01	02
		2017—18	07	03
27	रामगढ़	2014—15	01	00
		2017—18	07	00
28	साहेबगंज	2016—17	05	05
		2017—18	11	18
29	सरायकेला	2014—15	01	02
		2017—18	08	05
30	सिमडेगा	2005—06	01	02
		2007—08	02	17
		2008—09	02	04
		2009—10	03	02
		2010—11	02	00
		2011—12	01	00
		2012—13	03	04
		2014—15	04	04
31	तेनुघाट	2015—16	01	00
		2016—17	01	00
		2017—18	09	12
32	झारखण्ड भवन, नई दिल्ली	2016—17	00	02
		2017—18	11	07
कुल योग			454	426

परिभाषित -8

(कंडिका 3.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका)
वर्ष 2018-19 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं की स्थिति

क्रमांक	कोशागार/उप-कोशागार का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लंबित कंडिका	लंबित उप-कंडिका
1	बोकारो	2014-15	01	00
		2018-19	08	12
2	चाईबासा	2001-02	01	04
		2003-04	01	03
		2010-11	01	00
		2013-14	01	05
		2014-15	05	02
		2017-18	02	03
		2018-19	16	19
3	चक्रधरपुर	2012-13	01	01
		2013-14	01	00
		2014-15	02	04
		2015-16	02	04
		2016-17	02	03
		2017-18	01	02
		2018-19	09	13
4	चतरा	2000-01	01	04
		2002-03	01	00
		2006-07	01	01
		2009-10	01	00
		2013-14	02	01
		2014-15	01	00
		2016-17	01	01
		2017-18	04	01
		2018-19	10	05
5	देवघर	2015-16	04	00
		2017-18	01	00
		2018-19	14	16
6	धनबाद	2014-15	01	00
		2015-16	01	01
		2016-17	01	00
		2018-19	10	13
7	डोरन्डा	2005-06	01	00

		2008-09	01	06
		2010-11	01	00
		2012-13	01	00
		2013-14	01	01
		2014-15	01	00
		2015-16	04	03
		2016-17	02	01
		2017-18	02	00
		2018-19	09	06
8	दुमका	2018-19	13	24
9	गढ़वा	2012-13	01	01
		2013-14	03	01
		2014-15	03	01
		2015-16	05	09
		2017-18	01	01
		2018-19	10	05
10	घाटी ^म जिला	2003-04	01	02
		2007-08	01	00
		2010-11	01	00
		2012-13	02	04
		2013-14	02	00
		2014-15	09	11
		2015-16	02	01
		2016-17	08	12
		2017-18	10	01
		2018-19	09	02
11	गिरिडीह	2000-01	02	03
		2001-02	01	00
		2017-18	02	02
		2018-19	12	08
12	गोड्डा	2017-18	01	00
		2018-19	12	14
13	गुमला	2001-02	01	03
		2002-03	01	01
		2004-05	01	00
		2017-18	08	09
		2018-19	15	18
14	हजारीबाग	2001-02	01	01
		2004-05	01	01
		2016-17	02	03
		2018-19	13	07

15	जमशेदपुर	2017-18	02	00
		2018-19	13	09
16	जामताड़ा	2018-19	17	21
17	खुँटी	2000-01	01	00
		2003-04	01	00
		2005-06	02	01
		2008-09	01	06
		2009-10	01	00
		2015-16	02	01
		2016-17	01	00
		2017-18	02	01
		2018-19	15	21
18	कोडरमा	2002-03	01	02
		2018-19	12	11
19	लातेहार	2010-11	01	00
		2011-12	01	01
		2016-17	01	00
		2017-18	02	00
		2018-19	10	04
20	लोहरदगा	2000-01	01	02
		2001-02	02	06
		2006-07	01	00
		2015-16	01	00
		2017-18	08	01
		2018-19	16	22
21	मधुपुर	2016-17	01	00
		2017-18	01	01
		2018-19	10	14
22	महेन्द्रगढ़	2017-18	03	01
		2018-19	06	03
23	पाकुड़	2017-18	03	02
		2018-19	16	13
24	पलामू	2000-01	01	03
		2002-03	01	00
		2015-16	07	08
		2016-17	02	00
		2017-18	05	01
		2018-19	11	09
25	प्रोजेक्ट भवन	2005-06	01	00
		2007-08	01	01
		2008-09	02	05
		2009-10	01	01

		2011-12	01	02
		2013-14	01	00
		2014-15	02	07
		2015-16	03	04
		2016-17	04	04
		2017-18	04	01
		2018-19	09	05
26	राजमहल	2016-17	02	00
		2017-18	02	00
		2018-19	09	01
27	रामगढ़	2003-04	01	00
		2008-09	01	01
		2009-10	02	00
		2010-11	01	00
		2011-12	02	00
		2012-13	01	02
		2013-14	01	04
		2014-15	03	00
		2015-16	01	03
		2016-17	04	03
		2017-18	03	03
		2018-19	10	02
28	रौंछी	2010-11	01	04
		2013-14	01	01
		2015-16	02	02
		2016-17	08	06
		2017-18	11	18
		2018-19	18	37
29	साहेबगंज	2016-17	02	00
		2017-18	03	01
		2018-19	12	14
30	सरायकेला	2016-17	02	02
		2018-19	16	18
31	सिमडेगा	2013-14	02	07
		2014-15	01	05
		2015-16	03	04
		2018-19	14	23
32	तेनुघाट	2018-19	10	12
33	आई0टी0 प्रोजेक्ट भवन	2014-15	28	10
34	साईबर कोशागार	2018-19	09	02
35	आई0टी0 रौंछी	2016-17	17	03
36	झारखण्ड भवन, नई दिल्ली	2016-17	03	00

		2017-18	01	00
		2018-19	15	13
कुल योग			718	675

परिनिर्णय - 9
(कंडिका 3.3.1 पैरेग्राफ संबंधित अभिलेख)

क्रम संख्या	कोशागार/उप कोशागार का नाम	झा0को0सहि0 भाग-1 के नियम 219 के तहत विवाह/पुनर् विवाह प्रमाण पत्र पैरेग्राफ किया गया	झा0को0सहि0 भाग-1 के नियम 386 के तहत जीवित प्रमाण पत्र पैरेग्राफ किया गया	झा0को0सहि0 भाग-1 के नियम 220 के तहत रोजगार/पुनः रोजगार प्रमाण पत्र पैरेग्राफ किया गया	पी0पी0ओ0 में भाग-6 भरा गया	पी0पी0ओ0 में भाग-3 भरा गया
1	बोकारो	√	√	√	√	√
2	चाईबासा	x	x	√	√	√
3	चक्रधरपुर	√	√	√	√	√
4	चतरा	√	√	√	√	√
5	देवघर	x	x	x	√	√
6	धनबाद	√	√	√	√	√
7	डोरन्डा	√	√	√	√	√
8	दुमका	x	x	x	√	√
9	गढवा	√	√	√	x	√
10	घाटी गला	x	√	√	x	x
11	गिरिडीह	√	√	x	√	√
12	गोड्डा	√	√	√	√	√
13	गुमला	√	√	√	√	√
14	हजारीबाग	√	√	√	√	√
15	जमशेदपुर	√	√	√	√	√
16	जामताड़ा	x	x	x	√	√
17	खुर्ती	x	x	√	x	x
18	कोडरमा	√	√	√	√	√
19	लातेहार	√	√	√	√	√
20	लोहरदगा	√	√	√	√	√
21	मधुपुर	x	x	x	x	√
22	महेन्द्रगढ़	√	√	√	√	x
23	पाकुड़	√	√	√	√	x
24	पलामू	√	√	√	√	√
25	प्रोजेक्ट भवन	संबंधित नहीं है				
26	राजमहल	√	√	√	√	√
27	रामगढ़	√	√	√	√	√
28	रॉंची	√	√	√	√	√
29	साहेबगंज	√	x	x	x	√
30	सरायकेला	√	√	√	√	√

31	सिमडेगा	✓	✓	✓	✓	✓
32	तेनुघाट	✓	✓	✓	✓	✓
अनुपालन किया गया ✓		अनुपालन नहीं किया गया ✗				

परिशिष्ट – 10

(कंडिका 3.3.2 पे"न संबंधित अभिलेख)

छः माह या अधिक की अवधि से पे"न आहरण नहीं करने वाले पे"नधारियों की सूची

क्रमांक	कोशागार/उप कोशागार का नाम	क्रम संख्या	पे"नधारी का नाम श्री/श्रीमती	पी0पी0ओ0 संख्या	निर्गत तिथि
1.	लातेहार	1.	वासुदेव सिंह	1117666576	31.05.2017
		2.	भांकर मांझी	141774471	30.11.2017
		3.	माया कुजूर	111772941	11.10.2017
		4.	एलिजाबेथ कुजूर	111772940	11.10.2017
		5.	अंजेली खाखा	111775003	11.12.2017
		6.	सुभानी कुजूर	111774970	11.12.2017
2.	कोडरमा	1.	गंगाधर यादव	111772407	20.09.2017
3.	देवघर	1.	बिनोद झा	111628981	12.04.2016
		2.	अनिल कुमार सिंह	111775410	26.12.2017
		3.	भौलेन्द्र कुमार	111878363	07.03.2018
		4.	नामसी बर्धा	141881300	27.06.2018
4.	डोरन्डा	1.	बुधु मुण्डा	111657702	24.08.2016
		2.	अनुकरण खाखा	141770754	24.08.2016
		3.	सुरे" ा किस्पोटा	141537842	16.03.2015
		4.	विजय धान	111765265	24.04.2017
		5.	ओम प्रका" ा	141761684	04.01.2017
5.	दुमका	1.	श्रीमती मेरिला मुरमू	111312078	19.06.2013
		2.	मोलमीन टुडू	DMKSTE88	01.10.2008
		3.	श्रीमती इमली हॉसदा	DMKEFMW3276	13.12.2010
		4.	हरि चरण सोरेन	DMKFMW2590	17.09.2009
		5.	भाम" र खान	111307451	22.03.2013
		6.	बृहस्पति मांझी	DMKDAD2928	22.10.2008
		7.	हुंगलु हेम्ब्रम	DMKDAD4679	24.08.2011
		8.	पॉली बनर्जी	DMKFMW2141	29.05.2008
		9.	जगदी" ा राम	111431914	21.10.2014
		10.	रविन्द्र कुमार	111431881	21.10.2014
		11.	बाबुराम मुरमू	111431376	10.10.2014
		12.	सुरेन्द्र पाण्डेय	111881226	07.06.2018
		13.	चांदनी हेम्ब्रम	141427372	17.07.2014

		14.	रीना मरांडी	141650867	19.02.2016
		15.	चुरमी मुरमू	141311524	19.09.2013
		16.	धनपती किस्कु	141764214	17.03.2017
		17.	गुड़िया देवी	141883770	12.09.2018
		18.	मगदलीना मरांडी	141546694	12.10.2015
		19.	भगवती देवी	141544885	14.08.2015
		20.	मणि टुडू	141772496	20.09.2017
		21.	चंदन टुडू	111315787	06.09.2013
6.	गढवा	1.	सुदामा प्रसाद	111764780	07.09.2017
		2.	मि ठवनाथ उराँव	111770274	11.08.2017
		3.	राजा राम गौर	111772427	19.09.2017
		4.	राम प्यारे राम	111774049	08.11.2017
		5.	रामस्वरूप राम	111876881	23.01.2018
		6.	कमला देवी	141763155	21.02.2017
		7.	रामुती देवी	141763676	03.03.2017
		8.	राम नरे" I साहु	111762614	23.01.2017
		9.	जग नारायण भार्मा	111761968	06.01.2017
		10.	नेहरी टोप्पो	111761802	04.01.2017
		11.	रोमलस मिंज	141542304	18.06.2017
		12.	अयोध्या चौबे	111658097	09.09.2016
		13.	रेणुका तिग्गा	141653343	21.04.2016
		14.	केदारनाथ मिश्रा	111522726	21.07.2015
		15.	गफार भोख	111654376	23.05.2016
		16.	जगनारायण पाण्डेय	111546805	08.10.2015
		17.	सोनी सुमन	141535130	22.04.2015
		18.	जयमुनी देवी	141428184	22.09.2014
		19.	सविता देवी	141307212	25.03.2013
		20.	तारा कान्ती टोप्पो	141307215	27.03.2013
		21.	बच्चु खारवार	GRHDAD-4356	28.03.2011
		22.	रीता देवी	NR-1284/S	23.02.2011
		23.	जीरा देवी	GRHFSH-102/S	16.11.2010
		24.	सरस्वती कनवर	GRHDAD-3278/S	26.10.2009
		25.	पंखुरी देवी	GRHDAD-5046/S	27.12.2011
		26.	भांती देवी	GRHDAD-3201/S	21.08.2009
		27.	सोमनाथ राम	GRHDAD-3393	26.02.2010
		28.	कौ" ल्या देवी	GRHFMW-1519	13.11.2006
		29.	गीता देवी	NR-1284/S	23.02.2011
		30.	हुकुम देवी	GRHFOR-219	08.10.2012
		31.	मोबिना बेगम	S/107021	18.02.2013
		32.	उर्मिला देवी	S/79599	12.08.2004
		33.	रामगहन राम	S/86335	02.07.2004
		34.	बैजनाथ सिंह	3333496	12.08.2004

		35.	जुलियस कच्छप	313381	12.08.2004
		36.	विनोद कुमार मिश्रा	141651635	14.03.2016
		37.	खुर्द खलिफा	111767953	29.06.2017
7.	घाटी आला	1.	सलमा मुर्मू	141429819	04.09.2014
		2.	मो0 कमालुद्दीन	111654534	24.05.2016
8.	गोडडा	1.	ताला मरांडी	111880759	24.05.2018
		2.	वि" वनाथ उरॉव	111880387	10.05.2018
		3.	ललिता किस्कु	141881899	27.06.2018
9.	हजारीबाग	1.	मथुरा प्रसाद यादव	111652687	07.04.2016
		2.	राज कुमार चौधरी	111652247	21.03.2016
		3.	श्रीमती फुलमणी देवी	141653207	21.04.2016
		4.	सचिदानन्द सिंह	111651603	07.03.2016
10.	जामताड़ा	1.	रामरूप यादव	NR-1534	22.06.2018
11.	गिरिडीह	1.	भगवान प्रसाद यादव	111879608	09.04.2018
		2.	कैला" ठाकुर	111880943	24.05.2018
		3.	खेमचंद रविदास	111878452	08.03.2018
12.	पाकुड़	1.	अवधे" ठाकुर चौधरी	111764876	18.04.2017
		2.	सुरे" ठाकुर	141769554	11.08.2017
		3.	जितेन्द्र कुमार हेम्रम	111772156	10.10.2017
		4.	अबु बकर	111773257	03.11.2017
		5.	एलिजाबेथ मुर्मू	111773817	16.11.2017
		6.	कबीरुद्दीन भोख	111773852	11.11.2017
13.	पलामु	1.	मदन मोहन तिवारी	111771248	05.09.2017
		2.	रामे" वर तिवारी	111773119	13.10.2017
		3.	जय बहादुर पासवान	111773334	30.10.2017
		4.	सरोजनी तिकी	111774949	09.12.2017
		5.	अवध बिहारी सिंह	111876579	21.01.2018
		6.	श्रीमती चन्द्रा मणि	111876690	22.01.2018
		7.	पुने" वर राम	111877078	05.02.2018
14.	साहेबगंज	1.	बाबुलाल महली	111772298	08.10.2017
		2.	रेनुका मरांडी	141769210	03.08.2017
		3.	सोनी महतो	141661480	09.01.2017
		4.	देवेन्द्र कुमार मंडल	111774862	25.12.2018
		5.	वि" वनाथ राम	111878150	25.12.2017
		6.	कि" ठाकुर मंडल	111881361	21.06.2018
		7.	भांती दत्ता	111879413	14.04.2018
		8.	मो0 जरार हुसैन	111877844	07.03.2018
		9.	चुरकी किस्कु	111879396	14.04.2018
15.	रामगढ़	1.	कुमारी मधुलता वर्णवाल	141310454	03.08.2013
		2.	द्वारिका नाथ सिंह	111658780	07.10.2016
		3.	भांति देवी	141660312	01.12.2016
16.	गुमला	1.	श्रीमती रोजा तिकी	GMLEDN20327-S	--

17.	धनबाद	2.	मिस अलबिना केरकेटा	GMLEDN3897-S	--
		3.	मोस्मात झालो देवी	GMLEDN5388-S	--
		4.	जेवियर किन्डो	GMLEDN20394-S	--
		1.	गिरि" I चन्द्र दास	141878620	09.03.2018
		2.	श्री प्रका" I	111879178	23.03.2018
		3.	भांती देवी	141879660	13.04.2018
		4.	सती" I चन्द्र मंडल	111880506	08.05.2018
		5.	दिने" I प्रसाद सिंह	111764747	10.04.2017
		6.	सामु राय	111770580	22.08.2017
		7.	अ" ओक कुमार पाठक	111770341	11.08.2017

परिशिष्ट - 11

(कंडिका 3.3.4 पेंशन संबंधित अभिलेख)
अधिक पेंशन भुगतान से संबंधित विवरण

क्रमांक	कोशागार/उप कोशागार का नाम	क्रम संख्या I	पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पीपीओ संख्या	राशि	टीडीए नं० तथा दिनांक
1	राँची	1.	सुभाश चन्द्र प्रसाद	111876440	1,39,092=00	26 / 09.05.2018
		2.	सुभाश चन्द्र प्रसाद	111876440	14,91,683=00	225 / 09.05.2018
		3.	सुभाश चन्द्र प्रसाद	111876440	16,93,208=00	165 / 09.05.2018
2	दुमका	1.	प्रदीप कुमार	111883480	743=00	---
		2.	विशु लाल हेम्रम	111201561	60=00	---
		3.	महादेव झा	DMKEDN24 4955	32=00	---
		4.	समीर हॉसदा	111426713	76,333=00	---
		5.	सुकरा किस्कु	111203212	59,233=00	---
		कुल योग			34,60,384=0 0	

परिणाम – 12

(कंडिका 3.3.3 पैरान संबंधित अभिलेख)

अधिक उपादान भुगतान के समायोजन से संबंधित विवरण

कमांक	कोशागार/उप कोशागार का नाम	पैरानर का नाम श्री/श्रीमती	पीपीओ संख्या	राशि
1.	गोडडा	अखिला नन्द तिवी	111434062	10,196=00
		बैधनाथ सिंह	111424212	10,220=00
		बालिस टुडू	111201141	7,395=00
		बरनाबास मरांडी	141201840	18,272=00
		बेतका मुर्मु	111201850	148=00
		विशु प्रसाद भंडारी	GDDEDN10180	1,997=00
		बिनोद कुमार मुरमु	111310326	25,839=00
		दिलीप कुमार गोस्वामी	111420092	9,890=00
		गणेश प्रसाद तुरी	141427037	1,12,346=00
		गंगाराम किस्कु	111309987	11,771=00
		गीता कुमारी	111312167	45,724=00
		घनश्याम झा	111203942	1,723=00
		हरि प्रसाद मिश्रा	111426572	21,011=00
		हिरालाल साह	111541975	1,37,117=00
		जगन बास्की	111312534	9,890=00
		जयकान्त दत्ता	111548847	347=00
		लक्ष्मण मिर्धा	111545814	73,487=00
		मो० अजीज अन्सारी	111534738	9,460=00
		मो० मंजर मसूद	111430528	48,005=00
		मो० भोख छेदुउद्धीन	111420302	8,001=00
		नन्द कुमार झा	111428588	8,600=00
		रामनरेश भगत	111540458	1,47,942=00
		रवि क मरांडी	111537774	1,56,675=00
		रवि क मरांडी	111537774	45,680=00
		सामुएल सोरेन	111541885	2,64,283=00
		सुर्या मांझी	111543060	80,017=00
		भात्रुघन प्रसाद दास	111304550	7,976=00

		सोलिसटिका एक्का	111544576	26,312=00
		भौलेन्द्र प्रसाद यादव	111317148	57,542=00
		भांकर मेहतार	111310327	19,876=00
		भािव कुमार झा	111309992	19,427=00
		भयाम सुन्दर भगत	111544213	92,626=00
		सुधाकर ठाकुर	111420638	73,756=00
		सुलोचना कुमारी	111546732	347=00
		सुभीला देवी	111432407	12,068=00
		उमे" I प्रसाद मंडल	111543127	34,777=00
2.	चतरा	गुप्ते" वर पाठक	333344	2,520=00
3.	रौंची	सरोज टोप्पो	111770252	48,409=00
		पुष्पा तिग्गा	111876656	44,727=00
4.	सरायकेला	मंगल सिंह मुण्डारी	141766895	1,25,889=00
		रामबालक सिंह	141313952	4,11,343=00
कुल योग				22,43,631=00

परिशिष्ट – 13

(कड़िका 3.4 कोषागार में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के पालन से संबंधित)

क्रम संख्या	कोशागार/उप कोशागार का नाम	झा0को0संहि9 2016 के नियम 322 के तहत महालेखाकार को व्ययगत जमा विवरणी भेजना	झा0को0संहिता 2016 के नियम 8(b) के तहत जमा पंजी का आयुक्त द्वारा त्रैमासिक जाँचा जाना
1	बोकारो	x	x
2	चाईबासा	x	x
3	चक्रधरपुर	x	x
4	चतरा	√	x
5	देवघर	√	x
6	धनबाद	x	√
7	डोरन्डा	x	x
8	दुमका	√	x
9	गढवा	x	x
10	घाटी आला	x	x
11	गिरिडीह	x	√
12	गोड्डा	x	x
13	गुमला	x	x
14	हजारीबाग	x	x
15	जमशेदपुर	x	x
16	जामताड़ा	x	x
17	खुँटी	x	√
18	कोडरमा	x	√
19	लातेहार	x	x
20	लोहरदगा	x	√
21	मधुपुर	x	x
22	महेसापुर	x	x
23	पाकुड़	x	x
24	पलामू	x	x
25	प्रोजेक्ट भवन	√	√
26	राजमहल	x	x

27	रामगढ़	x	x
28	रौंची	✓	✓
29	साहेबगंज	x	x
30	सरायकेला	x	x
31	सिमडेगा	x	✓
32	तेनुघाट	x	x
अनुपालन किया गया ✓		अनुपालन नहीं किया गया x	

परिष्ठाष्ट – 14

(कंडिका 3.5 उच्चतर अधिकारी द्वारा कोशागार का सावधिक निरीक्षण से संबंधित)

उच्चतर अधिकारी द्वारा कोषागार/उप-कोषागार का सावधिक निरीक्षण नहीं किया जाना

क्रमांक	कोषागार/उप-कोषागार का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	बोकारो	निरीक्षण नहीं किया गया
2	चाईबासा	23.11.2017 को निरीक्षण किया गया
3	चक्रधरपुर	03.01.2018 को निरीक्षण किया गया
4	चतरा	निरीक्षण नहीं किया गया
5	देवघर	निरीक्षण नहीं किया गया
6	धनबाद	निरीक्षण नहीं किया गया
7	डोरन्डा	निरीक्षण नहीं किया गया
8	दुमका	निरीक्षण नहीं किया गया
9	गढ़वा	24.11.2017 को निरीक्षण किया गया
10	घाटी आला	निरीक्षण नहीं किया गया
11	गिरिडीह	निरीक्षण नहीं किया गया
12	गोड्डा	निरीक्षण नहीं किया गया
13	गुमला	निरीक्षण नहीं किया गया
14	हजारीबाग	निरीक्षण नहीं किया गया
15	जमशेदपुर	निरीक्षण नहीं किया गया
16	जामताड़ा	01.02.2019 को निरीक्षण किया गया
17	खुर्दी	17.11.2017 को निरीक्षण किया गया
18	कोडरमा	निरीक्षण नहीं किया गया
19	लातेहार	निरीक्षण नहीं किया गया
20	लोहरदगा	निरीक्षण नहीं किया गया
21	मधुपुर	निरीक्षण नहीं किया गया
22	महेसापुर	निरीक्षण नहीं किया गया
23	पाकुड़	निरीक्षण नहीं किया गया
24	पलामू	02.12.2017 को निरीक्षण किया गया

25	प्रोजेक्ट भवन	निरीक्षण नहीं किया गया
26	राजमहल	निरीक्षण नहीं किया गया
27	रामगढ़	23.11.2017 को निरीक्षण किया गया
28	रौंछी	3/2018 को निरीक्षण किया गया
29	साहेबगंज	निरीक्षण नहीं किया गया
30	सरायकेला	13.11.2017 को निरीक्षण किया गया
31	सिमडेगा	15.12.2017 को निरीक्षण किया गया
32	तेनुघाट	निरीक्षण नहीं किया गया

ifjfk"V – 15

(कंडिका 3.6 कोशागारों की सुरक्षा)
बज्र गृह की सुरक्षा संबंधी खामियाँ

क्रम संख्या	कोशागार/उप कोशागार का नाम	झा0को0संहि0 2016 के नियम 36(a) के तहत बज्र गृह सुदृढता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए	झा0को0संहि0 2016 के नियम 36(b)के तहत पुलिस बल की तैनाती	अग्निभामक यंत्र कार्यशील स्थिति में स्थापित होना चाहिए
1	बोकारो	✓	x	x
2	चाईबासा	x	✓	✓
3	चक्रधरपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
4	चतरा	✓	✓	x
5	देवघर	x	x	✓
6	धनबाद	✓	x	✓
7	डोरन्डा	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
8	दुमका	✓	x	✓
9	गढ़वा	x	x	✓
10	घाटी [*] ाला	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
11	गिरिडीह	x	x	✓
12	गोड्डा	✓	x	✓
13	गुमला	x	x	x
14	हजारीबाग	✓	x	✓
15	जमशेदपुर	✓	x	x
16	जामताड़ा	x	x	x
17	खुँटी	x	x	x
18	कोडरमा	x	x	✓
19	लातेहार	x	✓	✓
20	लोहरदगा	x	x	✓
21	मधुपुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
22	महे ^० ापुर	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है

23	पाकुड़	x	x	x
24	पलामू	✓	x	✓
25	प्रोजेक्ट भवन	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
26	राजमहल	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
27	रामगढ़	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
28	रौंची	x	x	✓
29	साहेबगंज	x	x	x
30	सरायकेला	✓	✓	✓
31	सिमडेगा	x	✓	x
32	तेनुघाट	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है	संबंधित नहीं है
अनुपालन किया गया ✓		अनुपालन नहीं किया गया x		

ifjf'k"V- 16

(कंडिका 3.7.1 मुद्रांक लेखों का संधारण)

U;kf;d@xSj&U;kf;d eqnzkadks dk vko';drk ls vf/kd
HkaMkj.k

zdeka d	dks"kkxkj@ mi dks"kkxkj dk uke	fo'ks" k ,Mgsf' ko eqnzka d (₹ में)	jktLo eqnzka ad (₹ में)	'ks;j Vz~kal Qj eqnzka d (₹ में)	beizs LM dksVZ Qhl eqnzka ad (₹ में)	,Moksd sV osyQs; j eqnzka d (₹ में)
1	बोकारो	40659500	48000	7395400	---	18088650
2	चाईबासा	9275818	---	---	26441325	216000
3	चतरा	14738159	3293480	---	---	11799000
4	देवघर	51015779	897463	---	---	19440000
5	धनबाद	12422060	1305084	949000		21800000
6	दुमका	88019514	735874	---	---	40186800
7	गढ़वा	677240	951590	---	---	27650100
8	गिरिडीह	16010585	1955805	---	---	26865000
9	गोड्डा	17875983	1185415	---	---	1923750
10	गुमला	1632236	---	---	---	22950000
11	हजारीबाग	3886350	50688	---	---	16396850
12	जमशेदपुर	220220850	959032	30579100	---	13805000
13	जामताड़ा	892408	1077408	---	---	23603265

14	खुँटी	---	643448	---	---	12857400
15	कोडरमा	1302701	2330224	---	---	1160000
16	लातेहार	4215200	828480	---	---	12856600
17	लोहरदगा	816500	1124354	---	---	372600
18	पाकुड़	7868884	269982	---	---	10634225
19	पलामू	13324400	2212800	---	---	4510000
20	साहेबगंज	10644240	399960	---	---	8463150
21	सरायकेला	3852	582700	200000	---	685000
22	सिमडेगा	15858900	1682880	---	---	6709500
23	रौंची	63631561	338416	1905950	---	5915010

ifjf'k''V- 16

(कंडिका 3.7.1 मुद्रांक लेखों का संधारण)

T;wfMf'k;y@uu&T;wfMf'k;y eqnzkadks dk vko';drk ls
vf/kd HkaMkj.k

zdekad	dks''kkxkj@mi dks''kkxkj dk uke	T;qfMlh;y eqnzkad (₹ में)	dksVZ Qhl (₹ में)	uu T;qfMf'k;y eqnzkad (₹ में)	chek eqnzkad (₹ में)	uksVh;y Qhl (₹ में)
1	बोकारो	100713871	---	526187273	1848000	---
2	चाईबासा	---	7568740	177177669	---	---
3	चतरा	---	19274501	157837600	---	390000
4	देवघर	87291072	---	261892369	---	5184150
5	धनबाद	73453684	---	676403815	871880	3754600
6	दुमका	75708800	---	206530034	---	89200
7	गढ़वा	20184215	---	90900825	---	1310400
8	गिरिडीह	103393026	---	471335425	---	---
9	गोड्डा	23094462	---	41415250	---	99210

10	गुमला	---	99993055	296385522	---	4693000
11	हजारीबाग	---	30233550	212960850	5020000	---
12	जमशेदपुर	---	144121282	524021394	45875205	2600463
13	जामताड़ा	78266622	---	94880959	---	---
14	खुँटी	11034105	5608195	125075552	---	---
15	कोडरमा	17482036	---	208018670	---	---
16	लातेहार	5587420	10530365	149342644	---	---
17	लोहरदगा	16864572	---	98594100	---	---
18	पाकुड़	37824638	---	85028430	---	---
19	पलामू	---	99289565	407962361	198602	7186800
20	साहेबगंज	15512880	---	84326115	---	276600
21	सरायकेला	67688045	---	670428240	---	---
22	सिमडेगा	33667217	---	162307913	---	---
23	राँची	35699120	5025795	96402449	31422253	3560200

ifjf'k"V- 17

(कंडिका 3.7.2 मुद्रांक लेखों का संधारण)

vizpfyr@{kfrxzLRk eqnzkadksa dk ctz x`g esa vuko';d
Hk.Mkj.k

zde la[;k	dk"kkxkj@mi dk"kkxkj dk uke	foLr`r fooj.k	jkf'k (₹ में)
1	बोकारो	अप्रचलित मुद्रांक	92,55,400=00
2	चाईबासा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	45,42,000=00 59,51,908=11
3	चतरा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	5,43,600=00
4	देवघर	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	2,46,08,662=50 30,30,328=00
5	धनबाद	अप्रचलित मुद्रांक	2,77,76,056=53
6	दुमका	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	67,85,034=00 1,14,94,872=75
7	गिरिडीह	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	20,25,000=00 62,78,122=50

8	गोड्डा	अप्रचलित मुद्रांक क्षतिग्रस्त मुद्रांक	7,14,015=00 50,000=00
9	गुमला	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	2,45,753=00
10	हजारीबाग	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	85,040=00 1,43,60,150=45
11	जमशेदपुर	अप्रचलित मुद्रांक	3,71,57,835=05
12	जामताड़ा	अप्रचलित मुद्रांक	2,90,240=00
12	कोडरमा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	2,920=00
13	लातेहार	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	1,150=00
14	लोहरदगा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	4,23,887=10
15	पाकुड़	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	5,65,715=81 11,12,420=26
16	पलामू	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	33,71,250=00 32,45,151=50
17	साहेबगंज	अप्रचलित मुद्रांक	4,68,630=50
18	सरायकेला	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	12,60,700=00
19	सिमडेगा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक	2,000=00
20	गढ़वा	क्षतिग्रस्त मुद्रांक अप्रचलित मुद्रांक	7,000=00 1,01,420=00
21	रौंछी	क्षतिग्रस्त मुद्रांक/ अप्रचलित मुद्रांक	32,63,51,611=00

ifjf'k"V- 18

(कड़िका 3.7.3 मुद्रांक लेखों का संधारण)

tehunkjh {kfriwfrZ ca/ki= ds fuLrkj.k ls
lacaf/kr fooj.k

dze la[;k	dks"kkxkj dk uke	ewY; jkf'k (₹ में)	la[;k	jkf'k (₹ में)
1	चतरा	50/- 100/- 200/- 500/- 1000/- 5000/- 10000/-	76 38 66 37 38 01 03	3,800=00 3,800=00 13,200=00 18,500=00 38,000=00 5,000=00 30,000=00
2	दुमका	50/- 100/-	94 61	4700=00 6100=00

		200/-	68	13600=00
		500/-	25	12500=00
		1000/-	42	42000=00
		5000/-	05	25000=00
		10000/-	24	240000=00
3	गिरिडीह	50/-	185	9250=00
		100/-	197	19700=00
		200/-	150	30000=00
		500/-	36	18000=00
		1000/-	77	77000=00
		5000/-	04	20000=00
4	गोड्डा	50/-	91	4550=00
		100/-	51	5100=00
		200/-	43	8600=00
		500/-	06	3000=00
		1000/-	23	23000=00
5	गुमला	50/-	13	650=00
		100/-	08	800=00
		200/-	12	2400=00
		500/-	01	500=00
6	हजारीबाग			4,24,050=00
7	जमशेदपुर	50/-	73	3650=00
		100/-	57	5700=00
		200/-	65	13000=00
		500/-	19	9500=00
		1000/-	33	33000=00
		5000/-	01	5000=00
8	कोडरमा	50/-	03	150=00
		100/-	10	1000=00
		200/-	13	2600=00
		500/-	04	4000=00
9	लातेहार	50/-	17	850=00
		100/-	05	500=00
		200/-	05	1000=00
		500/-	01	500=00
10	पलामू	50/-	14	700=00
		100/-	11	1100=00
		200/-	05	1000=00
11	राँची	50/-	253	12650=00
		100/-	172	17200=00
		200/-	195	39000=00
		500/-	54	27000=00
		1000/-	46	46000=00

		5000/- 10000/-	12 23	60000=00 230000=00
12	गढवा	50/- 100/- 200/- 500/-	47 37 16 02	2350=00 3700=00 3200=00 1000=00

ifjf'k"V- 19

(कंडिका 3.8.4 सूचना तकनीकी लेखा संबंधी विवरण)
प्रोद्योगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जाना

dze la[;k	dkS"kkxkj@ mi&dkS"kkxkj dk uke	प्रोद्योगिक स्टॉक रजिस्टर संधारित
1	बोकारो	√
2	चाईबासा	√
3	चक्रधरपुर	√
4	चतरा	√
5	देवघर	√

6	धनबाद	✓
7	डोरन्डा	✓
8	दुमका	x
9	गढ़वा	x
10	घाटी ^{II} ला	x
11	गिरिडीह	x
12	गोड्डा	x
13	गुमला	x
14	हजारीबाग	x
15	जम ^{II} षेदपुर	✓
16	जामताड़ा	x
17	खुँटी	✓
18	कोडरमा	x
19	लातेहार	✓
20	लोहरदगा	✓
21	मधुपुर	x
22	महे ^{II} षपुर	x
23	पाकुड़	x
24	पलामू	x
25	प्रोजेक्ट भवन	✓
26	राजमहल	✓
27	रामगढ़	✓
28	रौंची	✓
29	साहेबगंज	✓
30	सरायकेला	✓
31	सिमडेगा	x
32	तेनुघाट	x
33	झारखण्ड भवन	x